उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

सं0-52/2019/417/92-2-19-91आरई/98

लखनऊ:: दिनांक:: 01 मार्च , 2019

कार्यालय ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी में कतिपय गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के संज्ञान में आने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-131/62-3-99-91आरई/98 दि0 05-03-1999 द्वारा श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधिशासी अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को निलम्बित किया गया तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-663(1)/62-3-99-91आरई/ 98 दिनांक 05-03-1999 द्वारा श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी के विरूद्ध सी0सी0ए0 रूल्स-55 के अंतर्गत प्रचलित अनुशासनिक जांच हेतु श्री आर0 सी0 श्रीवास्तव, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- प्रश्नगत प्रकरण में जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ के पत्र सं0-1265/ग्रा0अ0से0/शि0(अ0अ0)/जांच-वाराणसी/2000-01 दि0 22-06-2000 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कतिपय आरोप सिद्ध पाये गये। आरोपो के संबंधमें शासन के पत्र दि0 13-0-7-2000 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी (श्री जे0एन0 तिवारी के दिनांक रहित पत्र के माध्यम से शासन में दिनांक 11-10-2000 को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात परीक्षणोपरान्त शासन के पत्र दि0 22-02-2001 द्वारा जांच अधिकारी, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-वाराणसी से आरोप सं0-06, 07, 08 व 11 के संबंध में स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने के साथ ही शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-6869/62-3-2000-91आरई/98 दि0 22-02-2001 द्वारा श्री तिवारी के निलम्बन को समाप्त कर उन्हें सेवा में इस शर्त के साथ बहाल किया गया कि उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलन में रहेगी।

3- शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जांच अधिकारी/तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर के पत्र सं0-1226/ग्रा0अ0से0/अनु0जांच-जे0एन0तिवारी-अधि0 अभि0/2003-04 दिनांक 02-09-2003 द्वारा जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। तत्पश्चात शासन के पत्र दिनांक 09-01-2006 द्वारा जांच अधिकारी की जांच आख्या की प्रति पुन: अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी को प्रेषित करते हुये अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी के पत्र दि0 11-04-2006 द्वारा शासन में प्राप्त हुआ। तत्पश्चात शासन के पत्र दि0 26-06-2006 द्वारा प्रकरण के संबंध में प्राप्त जांच आख्यायें व अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी के अभिकथन की प्रति वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित कर आरोप संख्या-06 व07 के संबंध में उनकी आख्या/संस्तुति मांगी गयी। वित्त नियंत्रण की आख्या उनकी पत्र सं0-जी-993/ग्रा0अ0से0/बजट/जांच-जे0एन0 ति0 /2006-07 दि0 03-08-2006 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दि0 31-01-09 को सेवानिवृत्त हो गये। अतएव उनके विरूद्ध प्रचलित प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-233/92(प्रकोष्ठ)/11-91आरई/98 दि0 18-07-2011 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

5- जांच अधिकारी की जांच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में श्री तिवारी के अभ्यावेदन, वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधि0अभि0 के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दि0 13-05-16 व 28-09-2016 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से सहमति मांगी गयी, जो उनके पत्र दिनांक 09-11-2016 द्वारा निम्नवत सहमति उपलब्ध करायी गयी :-

> ''श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी (सम्प्रति से0नि0) द्वारा की गयी शासकीय क्षति रू0 2,92,23,912.35 की वसूली श्री तिवारी के सेवानैवृत्तिक देयों से की जाय, यदि यह धनराशि उनके सेवानैवृत्तिक देयों से वसूल किया जाना संभव न हो, तो सक्षम न्यायालय के माध्यम से सिविल लायवेल्टी के रूप में अवशेष शासकीय क्षति की वसूली की जाय।''

6- लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमति के उपरांत प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 2,92,23,912.35 की वसूली श्री तिवारी के सेवानिवृत्तिक देयकों से किये जाने, यदि यह धनराशि उनके सेवानिवृत्तिक देयकों से वसूली किया जाना संभव न हो तो सक्षम न्यायालय के माध्यम से सिविल लायवेल्टी के रूप में अवशेष शासकीय क्षति की वसूली किये जाने का दण्डादेश दिनांक 04-01-2017 पारित किया गया।

7- अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी द्वारा दण्डादेश दि0 04-01-2017 के विरूद्ध मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में निर्देश याचिका सं0-386/2017 जगत नारायण तिवारी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित की गयी। उक्त निर्देश याचिका में मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दि0 07-12-2018 के संगत अंश निम्नवत है :-

''निर्देश याचिका स्वीकर की जाती है और दण्डादेश दि 04-01-2017 अपास्त किया जाता है। प्रतिपक्षी याची द्वारा आरोप पत्र दिनांक 21-05-1999 का उत्तर/स्पष्टीकरण दिनांक 26-08-1999/28-04-2000 दिये जाने के स्तर से नियमानुसार पुर्नजांच कराने हेतु स्वतंत्र होगें परन्तु यदि उनके द्वारा पुन: जांच करायी जाती है तो वे इस निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से छ: माह के अन्दर उक्त जांच को अंतिम रूप से निस्तारित करेगें। दिनांक 31-01-2009 को हुई याची की सेवानिवृत्ति के बाद यदि उसे अनन्तिम पेंशन नही मिल रही है तो जीवनयापन की दृष्टि से उसे देय तिथि से भुगतान किये जाने की तिथि तक 6 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित अनन्तिम पेंशन आगामी 02 माह में स्वीकृति की जायेगी। याची को दिये जाने वाले अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ सक्षम स्तर द्वारा पुर्नजांच के परीणामों के आधार पर निर्धारित किये जायेगे। यदि प्रतिपक्षीगण आगामी 08 सप्ताह में पुर्नजांच किये जाने हेतु आदेश निर्गत नही करते है तो वे याची को समस्त वित्तीय लाभ जो उक्त दण्डादेश के कारण अवरूद्ध है 6 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित देयता के आधार पर नियमानुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आगामी 02 माह की अवधि में उपलब्ध करायेंगे। याची द्वारा उन्हें आवश्यकतानुसार उचित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

उभय पक्ष अपना वाद-व्यय स्वयं वहन करेगें। ''

8- मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका सं0-386/2017 जगत नारायण तिवारी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07-12-2018 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 04-01-2017 द्वारा श्री जे0एन0 तिवारी के विरूद्ध निर्गत दण्डादेश को निरस्त करने तथा अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर दि0 21-05-1999 व 28-04-2000 के स्तर से श्री तिवारी को मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार पुनः जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-वाराणसी को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने व अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

9- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-52/2019/417(1)/92-2-2019 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-वाराणसी को अपचारी अधिकारी/ श्री तिवारी के बचाव उत्तर दि0 21-05-99 व 28-04-2000 की छायाप्रतियां व अन्य संगत अभिलेख **संलग्नकर** इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-वाराणसी (सम्प्रति से0नि0) द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in